रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245100
SG-DL-E-11042023-245100

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2023/चैत्र 21, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 08
No. 120] DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2023/CHAITRA 21, 1945 [N. C. T. D. No. 08

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023

सं. 11(54)/प्रशा./वि.न्या. एवं वि.का./18/4102.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना जीएसआर 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में ''मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)'' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(i) इन नियमों कों ''मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)''भर्ती नियमावली, 2023 कहा जायेगा।

   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3 **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यता इत्यादि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है।

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव.**—इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)**
2.	**पदों की संख्या**	:	06 (2023) * परिवर्तन कार्यभार के आधार पर निर्भर है
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर : 1 (18000–56900/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18–25 वर्ष * * यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पद भरा जाता है तो आयु सीमा 18 वर्ष एवं 27 वर्ष के बीच होगी । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय है) **टीप**–आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि डीएसएसएसबी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञाप्ति होगी ।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	मान्यताप्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन अथवा इसके समकक्ष उत्तीर्ण अथवा आईटीआई उत्तीर्ण * * पद की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अपनाया जा सकता है, यदि कोई हो ।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से**	:	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

	भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		
11.	**यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /समावेशन किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	स्थायीकरण के विचारार्थ समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समितिः 1. प्रधान सचिव / सचिव (श्रम) रा0रा0क्षे0दि0स0 – अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, दिल्ली सरकार – सदस्य 3. उप सचिव (सेवाएं) – सदस्य **टीप** : यदि समिति के अधिसूचित अध्यक्ष के, समिति के अन्य सदस्य से कनिष्ठ होने की स्थिति में पदोन्नति/ स्थाईकरण पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रमेश कुमार, उप सचिव (प्रशासन)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 11th April, 2023

No. F. 11(54)/Admn/LJ&LA/18/4102.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affair's Notification GSR 840 dated 13th July, 1959, the Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of "MULTI TASKING STAFF (MTS)" in the Law, Justice and Legislative Affairs Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement**.—(i) These rules may be called "Multi Tasking Staff (MTS)" Recruitment Rules, 2023.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, classification and Level in the Pay Matrix**.—The number of post, its classification and Level in the Pay Matrix shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule attached with these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualification, etc.** .—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matter relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications**.—No person, -

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to the said post;

   Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax**.—Where the Government is of the opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

6. **Saving**.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	**Name of the post**	**MULTI TASKING STAFF (MTS)**
2	No. of post	06* (2023) *Subject to variation dependent on workload
3	Classification	General Central Service Group "C" Non- Gazetted, Non Ministerial
4	Pay Band and Grade pay/ Pay Scale	Level-1, Rs. 18000-56900 in the Pay Matrix
5	Whether Selection post or non Selection post	Not applicable
6	Age limit for direct recruits	18-25 year* *In the case of post being filled up by All-India Open Competition, the age limit would be between 18 years and 27 Years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Matriculation or equivalent pass from Recognised Board/University OR ITI Pass* *May be adopted as per special requirements of the post, if any.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment /promotion / deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	100% By Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made	Not applicable
12	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Group 'C' Departmental Promotional Committee for considering confirmation: 1. Principal Secretary/Secretary(Labour), Govt. of NCT of Delhi - **Chairman** 2. Head of Department concerned, Govt. of Delhi –**Member** 3.Deputy Secretary(Services) – **Member** **Note :** Senior most member of the Departmental Promotion Committee for considering promotion / confirmation shall act

		as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.
13.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not applicable

By Order and in the Name of the Lieutenant

Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAMESH KUMAR, Dy. Secy. (Admn.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA